प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात **दिनाँक- 24/07/2025**

- **शिकायतकर्ता द्वारा श्रीराम फाइनेंस को ₹ 2,00,000/- का पेमेंट ट्रांसफर किया गया जोकि पेमेंट गेटवे में ही होल्ड हो गया था और श्रीराम फाइनेंस द्वारा पेमेंट प्राप्त होने से मना किया गया।**
- **थाना रुरा पुलिस (साइबर हेल्प डेस्क) द्वारा कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के खाते में कुल धनराशि ₹ 2,00,000/- को वापस कराया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध निवारण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, शिकायतकर्ता श्री कृष्ण कुमार सिंह पुत्र जगराम सिंह निवासी ररौंख, पोस्ट खानपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात हाल पता दिव्यांशी मोटर्स तिगाई, थाना रुरा, जनपद कानपुर देहात के द्वारा श्रीराम फाइनेंस को **₹ 2,00,000/-** का पेमेंट ट्रांसफर किया गया जोकि पेमेंट गेटवे में ही होल्ड हो गया था और श्रीराम फाइनेंस द्वारा पेमेंट प्राप्त होने से मना किया गया। जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज करायी गयी। उक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए साइबर हेल्प डेस्क थाना रुरा पुलिस द्वारा कुल धनराशि **₹ 2,00,000/-** शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई। थाना रुरा पुलिस की कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए शिकायतकर्ता ने थाना रुरा पुलिस को धन्यवाद दिया।

खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करे।

वापस करायी गयी धनराशि-

₹ 2,00,000/-

धनराशि वापस कराने वाली टीम-

थाना रुरा पुलिस